तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तार्मील में जारी हुए
03/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते आदेश दि. 17/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 03/11/25	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O.39 R1&2 cpc के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RTA r.w.O.39 R1&2 cpc को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी मूल ख० नं० 343 व 347 मूलत: पीरू धोबी के खाते दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद विरासत मे (नामा० नं० 89) उनके 04 पुत्रो- पूरा, नारायण, लक्ष्मीनारायण एवं रघुनाथ के खाते 1/4-1/4 दर्ज हुई थी और बाद मे चारो भाईयो के मध्य सहमति से बटवारा होकर दिनांक 16/12/2000 को अपना-अपना हिस्सा पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई थी। सहमति बटवारे [illegible] /341 रकबा [illegible] मे ख०नं० 1813/340 रकबा 0-10 बीघा [illegible] 1-04 बीघा, 1816/3[illegible] रकबा 0-04 [illegible] /347 [illegible] बीघा भूमि रकबा 0-18 बीघा [illegible] के पृथक से खाते दर्ज नारायण पिता पीरू धोबी के [illegible] यह भूमि हुई थी। नारायण की मृत्यु के बाद यह भूमि	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	विरासत में जर्ये नामा० नं० 1921 दिनांक 03/6/2020 से उनके वारिसानों - रामलाल (पुत्र), कालीबाई, पतासीबाई व मोहनबाई (पुत्रियां) के हिस्सा 1/4 - 1/4 दर्ज हुई। बाद में सम्पूर्ण भूमि रामलाल के खाते दर्ज हुई। प्रार्थीगण व रामलाल के legal heirs होने से रामलाल को विरासत में प्राप्त उक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त पैतृक आराजी को जर्ये रजिस्ट्री (ख०नं० 1819/347 रकबा 0.2276 hact को दिनांक 19/11/2021 को अप्रार्थी 2 दिनेश को तथा ख०नं० 1816/343 रकबा 0.0506 hact को अप्रार्थी 5 व 6 को दिनांक 18/11/2021 को) बेचान कर दिया जो प्रार्थीगण के हक तक प्रारम्भ से ही अवैध व निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार की उक्त सहदायिकी संपति में ~~खातेदारी~~ पिता के जीवन काल में अपने जन्म से निहित अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। आज० अप्रार्थी ने उक्त वाद का पुरजोर विरोध करते हुए [illegible] कि खातेदार रामलाल (अप्रार्थी 1) के ख०नं० 1819/347 रकबा 0.2276 hact को जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 19/11/2021 को अप्रार्थी 2 दिनेश को बेचान किया था। अप्रार्थी 2 ने फिर उक्त भूमि को जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 04/3/2022	

उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	से अप्रार्थी 3 राहुल को बेचान कर कब्जा सौंपा था। अप्रार्थी 3 राहुल से मार्फत रजिस्ट्री दिनांक 26/05/2023 अप्रार्थी 4 कौशल्याबाई ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। अप्रार्थी 4 राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त चली आ रही है। अतः प्रार्थीया 4th रजि० विक्रयपत्र से खातेदार दर्ज है और कब्जाधारी है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष मे है। आगे तर्क किया कि रजि० विक्रय पत्रो को खारिज करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है, ना कि राजस्व न्यायालय को है। वादग्रस्त आराजी रामलाल की स्वअर्जित सम्पति है। यह संपत्ति मे 3/4 हिस्सा रामलाल को मार्फत हकत्याग पत्र दिनांक 02/9/2020 को अपनी तीनो बहिनो से प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त भूमि 4th पुरुष पीढ़ी से सयुक्त परिवार की अविभाजित सहदायिक संपत्ति नही है क्योंकि इसका दिनांक 16/12/2000 नारायण व अन्य तीनो भाइयो मे सहमति बटवारा होकर पृथक खाते दर्ज हुई थी जिसे स्वयं प्रार्थीगण ने अपने प्र० पत्र के मद क्रम 03 मे स्वीकार किया है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष मे है।	
	बहस उभयपक्ष की उपस्थित मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। [illegible] पैतृक संपत्ति किसी हिन्दु की [illegible] परिवार की 4th पुरुष पीढ़ी [illegible] अविभाजित [illegible] मे प्राप्त संपत्ति है। वादग्रस्त आराजी [illegible] के लिए ancestral property होगी यदि इसको 4th male generation से undivided way मे यानी अपने	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नागरिक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का मय इनीशियल्स जज
	परदादा पीरू वल्द बाला कौली के undivided way से संयुक्त संपत्ति के रूप से प्राप्त हुई थी लेकिन वादग्रस्त भूमि पीरू कौली के चारों पुत्रों को विभाजन से संयुक्त रूप से प्राप्त होने के बाद चारों पुत्रों पूरा, नारायण, लक्ष्मीनारायण एवं रूघनाथ – द्वारा सहमति से न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश से दिनांक 16/12/2000 को ही बंटवारा (विभाजन) करा लिया था अतः दिनांक 16/12/2000 से वादग्रस्त भूमि हिन्दू परिवार की संयुक्त संपत्ति (co-parcenary property) नहीं रही। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13/07/1991 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लक्ष्मन उर्फ लक्ष्मीनारायण के वारिसान – लीलाबाई, कमलाबाई व शीला द्वारा खातेदार सरपाल्त रूघनाथ पिता पीरू से उनका हिस्सा 1/4 का बेचान रामलाल पिता नारायण एवं सरदार बाई पुत्री देवा को किया जाना प्रतीत होता है। यह स्पष्ट है कि नारायण पिता पीरू की भूमि उनके पुत्र रामलाल हिस्सा 1/4 एवं तीन पुत्रियों हिस्सा 3/4 के खाते दर्ज हुई थी। तीनों पुत्रियों द्वारा अपना संयुक्त हिस्सा 3/4 का हकत्याग उनके रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र [illegible] 03/3/2020 को प्रार्थीगण [illegible] रामलाल के पक्ष में किया है। अतः [illegible] पैतृक संपत्ति होना साबित नहीं होती है। रजिस्टर्ड रामलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पिता नारायण द्वारा वादग्रस्त आराजी में से ख०नं० 1819/347 को पर्यं रजिस्ट्री पहले दिनांक 17/11/2021 को अप्रार्थी 2 दिनेश को बेचान किया गया फिर खातेदार बने अप्रार्थी 2 ने पर्यं रजिस्ट्री दिनांक 04/3/2022 को अप्रार्थी 3 राहुल को बेचान किया और अंत मे राहुल ने पर्यं रजिस्ट्री दिनांक 26/5/2023 अप्रार्थी क्रम 4 कौशल्या बाई को बेचान किया है अभी तक उक्त किसी भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया है। इसी प्रकार ख०नं० 1816/343 की स्थिति है।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी 4 से 6 के Recorded Khatedar tenant होने, वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि साबित होना जाहिर नहीं होने एवं रजि० विक्रय खारिज नहीं होने तथा कब्जा प्रार्थीगण का साबित नहीं होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं है।	
	(ब) सुविधा का संतुलन :- हस्तगत प्रकरण मे ना तो प्रार्थीगण खातेदार के रूप मे दर्ज है और ना ही कब्जा होना जाहिर होता है। पैतृक संपत्ति भी साबित नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कोई हक व [illegible] होना साबित नहीं होता है। [illegible] अप्रार्थी 4 से 6 [illegible] खातेदार हक एक सद्भावी [illegible] (bona-fide purchaser and recorded Khatedar)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या सब इनिशियल्स जज
	के विरुद्ध स्थगन जारी किये जाने की क्रमांक को प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थी 4से 6 को अत्याधिक असुविधा कारित होगी और अकारण (वैध विधिक कारण के बिना ही) अपने खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। अत: प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।
	(स) <u>अपूरणीय क्षति</u> :- प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित है और न ही सुविधा का संतुलन है अत: प्रार्थीगण कोई भी अपूरणीय क्षति कारित होना प्रतीत नहीं होता है। स्थगन जारी करने से बोनाफाइड क्रेता, एवं आधिपत्यित खातेदार तथा कब्जाधारी अप्रार्थी क्रम 4से 6 को ही अपूरणीय क्षति कारित होगी।
	उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा०पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R 1-2 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ शामिल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

15/11/2025

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner